

197

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश लिंक नोट सीना (म.प्र.)

304



Rs-30/-

R 5105 II/17

निगरानी प्रकरण कमांक- ~~12046~~

बोरेन्द्र सिंह तनय श्री हिन्दबहोरन सिंह चौहान उम्र 38 साल पेशा खेती निवासी  
ग्राम लोनहा तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 निगरानीकर्ता

प्राध. श्री इन्दुलाल  
लोधिपा द्वारा वेका  
18-3-17

बनाम,

- 1- सुखरजुआ पत्नी स्व0 गोविन्द साकेत
- 2- इममलाल तनय स्व0 गोविन्द साकेत
- 3- रामकुमार तनय स्व0 सतई साकेत
- 4- रामबहोर तनय स्व0 सतई साकेत

म.प्र. की राजस्व कानून 20  
अधिनियम 19 (21) 1988 के  
अनुच्छेद 2(1) के तहत  
Sardar

सभी निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0

5- शासन मं० २०१२ ज० रि० जिला अधीन प्रदेश अधीन सीधी  
अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार  
तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 द्वारा प्रकरण  
कमांक- 14/अ-19/93-94 में पारित आदेश  
दिनांक- 8.7.1994.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व  
संहिता 1950

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :-

यहकि प्रस्तुत की जा रही निगरानी क निराकरण हेतु प्रश्नगत  
व्यवस्थापन के प्रासंगिक तथ्यों का विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो  
इस तरह है कि :-

Sardar Wya

M. Adesh

[Signature]

(197)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सीधी

क्रमांक निग05105 / II / 2017

वीरेन्द्र सिंह / सुखरजुआ साकेत

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रलाल सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 14/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 08.07.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p style="text-align: center;">(बी.एम.शाम्शी), सदस्य</p>